

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

कमांक 260 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08/12/2025

श्री यशपाल सिंह, 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण ई.एक्स.एम.जे.सी. कमांक 239/2025 शैला सिंह विरुद्ध गोकरण सिंह में निर्णीतऋणी गोकरण सिंह पिता बाल्मीक सिंह निवासी ग्राम खारा तहसील सेमरिया की चल व अचल संपत्ति ग्राम खारा तहसील सेमरिया में स्थित होने एवं उक्त स्थान की क्षेत्रीय अधिकारिता सिरमौर न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री यशपाल सिंह, 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण ई.एक्स.एम.जे.सी. कमांक 239/2025 शैला सिंह विरुद्ध गोकरण सिंह को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री संजय वर्मा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)पृष्ठांकन कमांक 6125 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08/12/2025

प्रतिलिपि:-

1. श्री यशपाल सिंह, 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
निष्पादन प्रकरण ई.एक्स.एम.जे.सी. कमांक 239/2025 शैला सिंह विरुद्ध गोकरण सिंह मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. श्री संजय वर्मा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश।
3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रीवा, जिला रीवा/सिरमौर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)